न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2010 नामान्तरकरण अपील

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नानगदास जाति दादूपंथी निवासी ग्राम बिलौनाकला तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. मूली देवी पुत्री नानगदास पत्नि प्रभूदास जाति दादूपंथी निवासी ग्राम बिलौना कला हाल निवासी ग्राम कल्लावास तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा। ।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 24.02.005 नामान्तरकरण संख्या 784 ग्राम बिलौना कलां पर पारित किया गया है)

उपस्थिति :– 1 :श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 22.03.2021

अपील का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 137 रकबा 35 बीघा 6 बिस्वा के 3/8 हिस्से का खातेदार नानगदास चेला गोविन्ददास कौम दादूपंथी निवासी बिलौना कलां था। इसी प्रकार ग्राम बिलौना कलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 की जमाबन्दी में दर्ज खातेदार भी नानगदास चेला गोविन्ददास था। नानगदास चेला गोविन्ददास की मृत्यू हो गई और अपीलान्ट नानगदास चेला गोविन्ददास का वारिस पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक पुत्री है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट वारिस उत्तराधिकारी है। किन्तु पटवारी हल्का ने नानगदास की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम भरकर तहसीलदार लालसोट के यहां पेश कर दिया एवं तहसीलदार लालसोट ने बिना अपीलान्ट को सुने व बिना कोई जांच किये अपीलान्ट नानगदास का वारिस होने के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 24.02.2005 ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक कर दिया। जिससे व्यथित होकर नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 24.02.2005 ग्राम बिलौना कलां को निरस्त करवाने हेतु अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तत की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट जगदीश प्रसाद मृतक नानगदास चेला गोविन्ददास का वारिस पुत्र है। वारिस पुत्र को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही यह निर्णय मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पारित किया है। नामान्तरकरण सर्वप्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत में पेश होना चाहिए था लेकिन उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत में पेश न करके विधि विरूद्ध तरीके से तहसीलदार लालसोट ने तस्दीक किया है जो निरस्तनीय है। मृतक नानगदास की अकेली बेटी मूली के नाम नामान्तरकरण खोल दिया जबकि 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण बेटे जगदीश के नाम खोलना था जो कि नानगदास का वारिस पुत्र है। इसके प्रमाण के रूप मे रा.उ.मा.वि. बिलौना कलां का जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे साबित होता है कि वह नानगदास का वारिस पुत्र है। अपीलान्ट को बिना सुने यह नामान्तरकरण की एन्ट्री की गई है। हमने दफा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसका जवाब भी नहीं दिया गया है। 96 सीपीसी के तहत यह अपील पेश की है। अतः मेरी अपील को अन्दर मियाद स्वीकार किया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने निवेदन किया कि अपील समय सीमा में पेश की है अथवा नहीं यह देखने की ड्यूटी कोर्ट की है। पांच वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत हुई है। अपीलान्ट जगदीश नानगदास का बेटा नहीं अपितु चेला है। यह नानगदास का पुत्र नहीं है। जमीन पहले ही बिक चुकी है। सिविल दावे हो गये है। स्कूल के प्रधानाध्यापक को किसी का पुत्र घोषित करने का हक नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 नानगदास की अकेली वारिस है। इसके अलावा कोई और वारिस नहीं है। तहसीलदार द्वारा खोला गया नामान्तरकरण वारिसान की जांच करने के उपरान्त ही खोला गया है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार लालसोट द्वारा मृतक नानगदास के वारिसान की जांच के उपरान्त ही नामा. सं. 784 दिनांक 24.02.2005 खोला गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट जगदीश प्रसाद मृतक नानगदास का पुत्र था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट व प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट व प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा खोला गया नामान्तरकरण सं. 784 दिनांक 24.02.2005 ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा